मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2784

28 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

जर्जरावस्था प्राप्त हो रहे डीडीए फ्लैट्स

2784# श्री राम नाथ ठाकुरः
श्रीमती छाया वर्माः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपने आवंटियों के आवासों और आरडब्ल्यूए के भवनों के मरम्मत कार्य के प्रति लगातार उदासीन बनी हुई है जिसके कारण भवन जर्जर हो रहे हैं;

(ख) डीडीए आवासीय योजना, 2010 के अंतर्गत मोलारबंद और जसोला में आवंटित किए गए भवनों की कब से मरम्मत नहीं की गई है तथा अब तक कितनी बार मरम्मत हो जानी चाहिए थी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त भवनों की सड़कों का मरम्मत कार्य भी डीडीए द्वारा सम्पन्न नहीं किया गया है, जिससे यहां के निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): जी नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया कि विभिन्न आवास योजना ब्रोशर के अनुसार निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) द्वारा सामान्य क्षेत्रों का रखरखाव किया जाना है। आवास योजना 2010 से दिल्ली विकास प्राधिकरण 30 वर्षों के लिए आवश्यकताओं के अनुसार कुछ पूर्व घोषित रखरखाव संबंधी गतिविधियां करता है जबकि निवासी कल्याण संघ अन्य रख रखाव संबंधी गतिविधियां करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनकी अवधि के साथ की जा रही रख-रखाव संबंधी गतिविधियों को संलग्न किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया कि वर्ष 2021 में 9-क जसोला आवासों की मरम्मत का कार्य कुछ हिस्से में किया गया था। मोलर बंद आवासों के मामले में कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया है।

(ग): दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि वर्ष 2015-16 में मोलरबंद में और 2018-19 में जसोला 9-क में अंदर की सड़कों की मरम्मत की गई है।

*****

"जर्जरावस्था प्राप्त हो रहे डीडीए फ्लैट्स" के संबंध में दिनांक 28-03-2022 के राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2784 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए पूर्व घोषित रख-रखाव संबंधी कार्यकलाप

क्र.सं.	**मद**	**अवधि**
1	ग्रिट वॉश	10 साल में एक बार
2	सीढ़िया (प्लास्टर + सफेदी)	
(क)	सफेदी	3 साल में एक बार
(ख)	प्लास्टर	3 साल में एक बार
3	रेलिंग (स्टेयर केस और कॉमन लैंडिंग)	3 साल में एक बार
4	फर्श (स्टेयर केस और कॉमन लैंडिंग)	5 साल में एक बार
5	मडफास्क (छत+मुमटी)	2 साल में एक बार
6	सेनेटरी लाइन्स (निकासी + सीवरेज)	
i.	100 मिमी	3 साल में एक बार
ii.	75 मिमी	3 साल में एक बार
7	खिड़की के छज्जों की मरम्मत	10 साल में एक बार
8	बालकनियों की मरम्मत	10 साल में एक बार